



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257707  
CG-DL-E-04102024-257707

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775]  
No. 775]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

## भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2024

सं. रेग-11027/2/2022-रेगुलेशन-एफएसएसआई.—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन)विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर भेजी जा सकती हैं;

आक्षेप या सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

**प्रारूप विनियम**

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन)संशोधन विनियम, 2024 है।
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.14 के खंड (8) का लोप किया जाएगा।

जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./544/2024-25]

**नोट:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. आरईजी/प्रतिनिधित्व-एमएसईओ/एफएसएसएआई-2021 तारीख 5 सितम्बर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd October, 2024

**No. REG-11027/2/2022-Regulation-FSSAI.**—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in).

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Authority.

**Draft Regulations**

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2024.
2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3, clause (8) of the sub-regulation 2.3.14 shall be omitted

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./544/2024-25]

**Note.** - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended *vide* notification number F.No. REG/Representation-MSEO/FSSAI-2021, dated 5th September, 2022.